


## कार्यालय कलेक्टर, जिला राजनांदगांव ( छ0ग0 )

--: सार्वजनिक सूचना :-

कमांक/ 9124 /भू-अर्जन/भूकनी/2017 राजनांदगांव, दिनांक 29/01/2018  
 एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016 के तहत मोतीनाला व्यपवर्तन योजना के डुबान में प्रभावित भूमि ग्राम करमरी, प.ह.नं. 46, रा.नि.मं. खुज्जी, तहसील छुरिया, जिला राजनांदगांव के निम्नलिखित कृषक/भू-धारक की भूमि की आवश्यकता होने के कारण कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद, जिला-बालोद के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है :-

क्रं.	भू-धारक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में.)	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में.)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
1	अंकालू, चोवाराम, सुकालूराम पिता प्रेमलाल, सुरजोतिन बेवा प्रेमलाल सा. रतनभाट	176/3	1.011	1.011	असिंचित भूमि
2	कुंवरबाई बेवा अघनू, कृपाराम, सुमींद पिता अघनू जाति हल्बा सा. रतनभाट	176/2	2.024	0.121	असिंचित भूमि
3	हरकलाल पिता बृजलाल, ललिता बाई पिता बिसेसर जाति साहू सा. मनकी	167	0.991	0.405	असिंचित भूमि
	योग	03	4.026	1.537	

उपरोक्त दर्शित भूमि के स्वत्व के विषय में किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर स्वतः अथवा अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से आधार सहित मेरे समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

  
कलेक्टर,


जिला-राजनांदगांव

पृ0कमांक/ 914 /भू-अर्जन/भूकनी/2017  
प्रतिलिपि :-

राजनांदगांव,

दिनांक 29/01/2018

- 1- प्रभारी अधिकारी, जिला नाजिर शाखा, जिला कार्यालय राजनांदगांव को कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा करने हेतु अग्रेषित।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डोंगरगांव को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 3- तहसीलदार, छुरिया को 06 प्रतियों के साथ अग्रेषित। कृपया उपरोक्त सार्वजनिक सूचना दो गवाहों के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, डोंगरगांव, तहसील कार्यालय छुरिया तथा संबंधित ग्राम पंचायत- ग्राम करमरी, प.ह.नं. 46 के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करावें, तथा शेष एक प्रति मय प्रतिवेदन के जारी दिनांक से एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राजनांदगांव को उपरोक्त सार्वजनिक सूचना जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
- 5- आवेदक विभाग कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद, जिला-बालोद को सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया उक्त सार्वजनिक सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर, समाचार पत्र की दो-दो प्रतियाँ इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

  
कलेक्टर,

जिला-राजनांदगांव